क्रम संख्या–129 पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 24 जून, 2014 ई0
आषाढ़ 03, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 178 / XXXVI(3) / 2014 / 36(1) / 2014

देहरादून, 24 जून, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद **200** के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014** "पर दिनांक 23 जून, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 18 वर्ष, 2014 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2014

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 18 वर्ष 2014)

{भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा अधिनियमित}

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1971) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 3 के खण्ड (भ) में –

(क) कमांक (41) को निम्नवत प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात–

"(41) उत्तराखण्ड आवास विकास परिषद् तथा आवास निधि;"

(ख) पूर्व निकायों के अतिरिक्त निम्नलिखित निकाय अन्तःस्थापित कर दिए जायेंगे; अर्थात्–

"(63) राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास परिषद्;

(64) पिछडा व अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण परिषद एवं पिछड़ा वर्ग निधि अनुश्रवण;

(65) सीमान्त क्षेत्र कार्यक्रम अनुश्रवण परिषद;

(66) राज्य खनिज विकास परिषद्;

(67) उत्तराखण्ड समाज कल्याण योजना अनुश्रवण समिति;

(68) एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 अधिनियम अनुपालन व अनुश्रवण समिति;

(69) समाज कल्याण व राज्य सम्पत्ति विभाग के सलाहकार;

(70) उत्तराखण्ड राज्य सलाहकार संविदा श्रम बोर्ड;

(71) हरिद्वार/रूड़की विकास प्राधिकरण;

(72) तीर्थाटन प्रबंधन एवं धार्मिक मेला परिषद;

(73) राज्य स्तरीय जिला योजना अनुश्रवण एवं कार्यकम कियान्वयन समिति;

(74) आपदा पुनर्निर्माण कियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति।"

व्यावृत्ति 3. ऐसे संशोधनों के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

निरसन और अपवाद 4. (1) उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या 02 वर्ष 2014 तथा अध्यादेश संख्या 03 वर्ष 2014) इसके द्वारा निरसित किये जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धो के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

के0 डी0 भट्ट,
प्रमुख सचिव।

No. 178/XXXVI(3)/2014/36(1)/2014
Dated Dehradun , June 24, 2014

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **'the Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Bill 2014"** (Adhiniyam Sankhya 18 of 2014).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 23 June, 2014.

The Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2014

(Uttarakhand Act No. 18 of 2014)

{Enacted by the Uttarakhand State Assembly in the Sixty-fifth Year of the Republic of India}

An

Act

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (Uttar Pradesh Act No. 15 of 1971) to the context of the State of Uttarakhand

Short title and Commencement

1. **(1)** This Act may be called the Uttarakhand State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of section 3

2. In clause (x) of section 3 of the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 (as applicable to the State of Uttarakhand), -

(a) serial number (41) shall be substituted as follows, namely-

"(41) Uttrakhand Awas Vikas Parishad and Awas Nidhi;"

(b) In addition to the existing bodies, the following bodies shall be inserted; namely :--

"(63) State Infrastructure and Industrial Development Council;

(64) Backward and More Backward Class welfare Council Backward Class Fund Monitory ;

(65) Seemant Area Programme Monitory Council;

(66) State Mineral Development Council ;

(67) Uttrakhand Social Welfare Planning Monitory Committee;

(68) Implementation and Monitory Committee for S.C.S.P and T.S.P Act ;

(69) Advisor of Social Welfare and State Estate Department;

(70) Uttrakhand State Contractual Labour Board Advisor;

(71) Haridwar / Roorki Development Authority ;

(72) Pilgrimage Management and Religious Mela Council;

(73) State level District Planning Monitory and Programme Implementation Committee;

(74) Apda Punarnirman Kriyanwan evam Anushraan Samiti."

Saving 3. Notwithstanding such amendments anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under this Act.

Repeal and Saving 4. (1) The Uttaranchal State Legislature (Prevention of Disqualification) (Amendment) Ordinance, 2014 (Ordnance No 02 of 2014 and Ordnance no 03 of 2014) are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

K. D. BHATT,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 25 विधायी/477–2014–100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।